

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**सिटीजन चार्टर बनाये जाने के सम्बंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अधिनियम की धारा-4(1)बी में उल्लिखित बिन्दुओं
के अनुरूप भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुख्यालय के सम्बंध में सूचना।**

(4) लोक प्राधिकारियों की बाध्यताये—1 प्रत्येक लोक अधिकारी (क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्व ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है। और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित हैं, युक्ति—युक्त समय के भीतर है और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर सम्पूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से सम्बद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुच को सुकर बनाया जा सके।	पुलिस की वेब साइट पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 लखनऊ की सूचना उपलब्ध है।
(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन के एक सौ बीस दिन के भीतर	भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ का अपने अधिकार क्षेत्र में शासनादेश संख्या:2049 / 8-1-64 / 76 दिनांकित 18.04.1977 के अनुसार करना पड़ता है।
(।) अपने संगठन विशिष्टियों कृत्य और	1— भ्रष्टाचार

कर्तव्य	<p>2- बलात्</p> <p>3- जानबूझकर बदला लेने तथा परेशान करने की प्रवृत्ति</p> <p>4- बुरे नियत से आपातकालीन विशेष अधिकारों का दुरपयोग</p> <p>इसके अतिरिक्त संगठन द्वारा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में अभिसूचना एकत्र करके ऐसे लोगों को पकड़ने के लिये नियमानुसार ट्रैप भी डालेंगे।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त शासन तथा विभागाध्यक्षों एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से प्राप्त जॉच एवं विवेचनाओं का कार्य भी सम्पादित किया जाता है।</p>
(II) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य-	उ0प्र0 शासन आदेश संख्या:3886 / छ:पु0से0—2—99—522(5) / 84 दिनांकित 22.10.1999 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक का पद सृजित किया गया है तथा शासनादेश संख्या:3886 / छ:पु0से0—2—99—522(5) / 84 दिनांकित 22.10.1999 के द्वारा विभागाध्यक्ष घोषित करते हुये वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया।
(III) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व में माध्यम से सम्मिलित है-	भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य शासन एवं विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/नीति के अनुसार किया जाता है।
(IV) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान-	भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ के अधीनस्थ इकाईयों द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर शासन की नीति/ प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है तथा तदनुसार उच्चाधिकारियों द्वारा निर्णय किया जाता है एवं तदनुसार कार्यवाही हेतु इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश निर्गत किये जाते हैं।
(V) अपने द्वारा या अपने नियंत्रण धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ का कार्य यही है कि अपने अधीनस्थ इकाईयों द्वारा किये जा रहे कार्यों में नीति/नियम/प्रक्रिया एवं शासन के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के अन्तर्गत कार्यवाही का निस्तारण।

<p>(VI) ऐसे दस्तावेजों के जो, उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण—</p>	<p>भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ के अभिलेखों का कोई श्रेणीकरण नहीं है, परन्तु उसके अधीनस्थ अनुभागों में अभिलेख का रख—रखाव इकाईवार/शाखावार अलग—अलग किया जाता है।</p>
<p>(VII) किसी व्यवस्था की विशिष्टियों, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विधमान हैं—</p>	<p>भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ और जनता के बीच सीधा सम्पर्क नहीं है, परन्तु उसके अधीनस्थ इकाईयों का जनता सीधा सम्पर्क स्थापित कर सकती है तथा वहां पर उनकी समस्याओं का नियमानुसार निस्तारण किया जाता है।</p>
<p>(VIII) ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है क्या उन बोर्ड परिषदों, समितियों, और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण—</p>	<p>भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ के स्थानान्तरण/नियुक्ति/साइटेशन हेतु भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ में गठित बोर्ड/कमेटी का गठन किया जाता है। यदपि आवश्यकता पड़ने पर अधीनस्थ इकाईयों के प्रभारियों से विचार—विमर्श हेतु गोष्ठी/मीटिंग आयोजित की जाती है। चूंकि पुलिस विभाग की सूचनायें गोपनीय होती हैं। अतः सभी सूचनायें जनता के प्रयोगार्थ रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।</p>

(IX) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की
निर्देशिका

भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ०प्र०० लखनऊ में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण

क्रमसंख्या	नियतन	पदनाम
1.	01	अपर पुलिस महानिदेशक,
2.	01	पुलिस महानिरीक्षक,
3.	02	पुलिस उपमहानिरीक्षक,
4.	01	पुलिस अधीक्षक,
5.	03	अपर पुलिस अधीक्षक,
6.	16	पुलिस उपाधीक्षक,
7.	01	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी
8.	01	अभियोजन अधिकारी,
9.	90	निरीक्षक,
10.	—	निरीक्षक(गोपनीय)
11.	20	उपनिरीक्षक(गोपनीय)
12.	—	निरीक्षक(लिपिक)
13.	08	उपनिरीक्षक(लिपिक)
14.	—	उपनिरीक्षक(लेखा)
15.	—	सहायक उपनिरीक्षक(लेखा)
16.	12	सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक)
17.	—	उपनिरीक्षक ना०पु०
18.	02	मुख्य आरक्षी

19.	83	आरक्षी
20.	—	डिस्पैच राइडर
21.	01	मुख्य आरक्षी परिवहन
22.	18	आरक्षी चालक / मुख्य आरक्षी चालक
23.	—	कम्प्यूटर आपरेटर(ग्रेड-प्रथम) सम्बद्ध
24.	21	ओ०पी० / पी०ओ०पी० (चतुर्थ श्रेणी)
25.	01	दफतरी
26.	01	सफाई कर्मी
27.	01	वाटरमैन कम माली

(X) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके निनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।—

भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ०प्र० लखनऊ में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतनमान का विवरण		
क०सं०	पद नाम	वेतनमान
1.	अपर पुलिस महानिदेशक, भ्र०नि०सं० उ०प्र०	67000.79000 एचएजी
2.	पुलिस महानिरीक्षक, भ्र०नि०सं० उ०प्र०	37400—67000 ग्रेड पे— 10000/-
3.	पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्र०नि०सं० उ०प्र०	37000—67000 ग्रेड पे— 10000/-
4.	पुलिस अधीक्षक, भ्र०नि०सं० उ०प्र०	15600—391000 ग्रेड पे— 6600/-
5.	अपर पुलिस अधीक्षक, भ्र०नि०सं० उ०प्र०	15600—391000 ग्रेड पे— 6600/-
6.	पुलिस उपाधीक्षक, भ्र०नि०सं०	15600—391000 ग्रेड पे— 5400/-

	<table border="1"> <tr><td>7.</td><td>ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी</td><td>15600—391000 ग्रेड पे— 6600 /—</td></tr> <tr><td>8.</td><td>अभियोजन अधिकारी</td><td>15600—391000 ग्रेड पे— 6600 /—</td></tr> <tr><td>9.</td><td>निरीक्षक</td><td>9300—34800 ग्रेड पे— 4600 /—</td></tr> <tr><td>10.</td><td>उ०नि०एम० /आशुलिपिक</td><td>9300—34800 ग्रेड पे— 4200 /—</td></tr> <tr><td>11.</td><td>उ०नि०एम० /आंकिक /प्रधान लिपिक</td><td>9300—34800 ग्रेड पे— 4200 /—</td></tr> <tr><td>12.</td><td>सहायक उ०नि०एम०</td><td>5200—20200 ग्रेड पे— 2800 /—</td></tr> <tr><td>13.</td><td>मुख्य आरक्षी</td><td>5200—20200 ग्रेड पे— 2400 /—</td></tr> <tr><td>14.</td><td>आरक्षी</td><td>5200—20200 ग्रेड पे— 2000 /—</td></tr> <tr><td>15.</td><td>चतुर्थ श्रेणी</td><td>5200—20200 ग्रेड पे— 1800 /—</td></tr> </table>	7.	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	15600—391000 ग्रेड पे— 6600 /—	8.	अभियोजन अधिकारी	15600—391000 ग्रेड पे— 6600 /—	9.	निरीक्षक	9300—34800 ग्रेड पे— 4600 /—	10.	उ०नि०एम० /आशुलिपिक	9300—34800 ग्रेड पे— 4200 /—	11.	उ०नि०एम० /आंकिक /प्रधान लिपिक	9300—34800 ग्रेड पे— 4200 /—	12.	सहायक उ०नि०एम०	5200—20200 ग्रेड पे— 2800 /—	13.	मुख्य आरक्षी	5200—20200 ग्रेड पे— 2400 /—	14.	आरक्षी	5200—20200 ग्रेड पे— 2000 /—	15.	चतुर्थ श्रेणी	5200—20200 ग्रेड पे— 1800 /—
7.	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	15600—391000 ग्रेड पे— 6600 /—																										
8.	अभियोजन अधिकारी	15600—391000 ग्रेड पे— 6600 /—																										
9.	निरीक्षक	9300—34800 ग्रेड पे— 4600 /—																										
10.	उ०नि०एम० /आशुलिपिक	9300—34800 ग्रेड पे— 4200 /—																										
11.	उ०नि०एम० /आंकिक /प्रधान लिपिक	9300—34800 ग्रेड पे— 4200 /—																										
12.	सहायक उ०नि०एम०	5200—20200 ग्रेड पे— 2800 /—																										
13.	मुख्य आरक्षी	5200—20200 ग्रेड पे— 2400 /—																										
14.	आरक्षी	5200—20200 ग्रेड पे— 2000 /—																										
15.	चतुर्थ श्रेणी	5200—20200 ग्रेड पे— 1800 /—																										
(XI) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टिया, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट—	शून्य																											
(XII) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित हैं—	शून्य																											
(XIII) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकाराओं के प्राप्तिकर्ताओं की	उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप से निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।																											

विशिष्टयॉ—

(XIV) किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बंध में व्यौरे, जो उसका उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो—

क्र०सं 0	कार्य	कार्यवाही किस स्तर से	समयावधि	
1	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0स0 उ0प्र0 लखनऊ	प्रातः 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक(राजकीय अवकाश को छोड़कर)	
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त	
3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	बिलम्बतम 30 दिवस	
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि(रु0 10/- प्रथम घण्टा उसके पश्चात् रु0 05/- प्रति 15 मिनट, सूचना के लिये रु0 50/- प्रति सीडी तथा छपे दस्तावेजों के वास्तविक लागत पर)	भ्र0नि0स0 उ0प्र0 लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	बिलम्बतम 30 दिवस	
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराये जाने वाली राशि का विवरण (रु0 10/- प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क)	भ्र0नि0स0 उ0प्र0 लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	बिलम्बतम 30 दिवस	
6	अभिलेखीय सूचना रु0 02/- प्रति पृष्ठ की दर से	भ्र0नि0स0उ0प्र0 लखनऊ के मुख्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट	बिलम्बतम 30 दिवस	

		या बैंकर्स चेक		
(XV) सूचना अभिप्राप्त करने के नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टिया, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घटे सम्मिलित है—	भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ०प्र०० लखनऊ में लाइब्रेरी आदि की सुविधा उपलब्ध है, जिसका प्रयोग पुलिस कर्मियों के लिये ही सीमित है। कार्यालय में सीमित स्थान में होने के कारण सामान्य जनता के लिये लाइब्रेरी आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है।			
((XVI)लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियों—	जनसूचना अधिकारी मुख्यालय स्तर पर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, भ्र०नि०सं० उ०प्र०० लखनऊसी०य०जी० नम्बर 9454400431 है।अपीलीय अधिकारी पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्र०नि०सं० उ०प्र०० लखनऊ सी०य०जी० नम्बर 9454400218 है।			
(XVII) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जो—	शून्य			